

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

क्रमांक:- 18/सामान्य/2021

दिनांक:- 26.08.2021


-कार्यालय आदेश-

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अध्याधीन में, अधोहस्ताक्षरकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व 410(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह सितम्बर, 2021 में अग्रवर्णित शासकीय अवकाश में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध, आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दायित्व मामले तथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड अवधि बढ़ाने तथा जमानत प्रार्थना पत्र आदि का निस्तारण करने के लिए व श्रीगंगानगर मुख्यालय से बाहर जिला न्यायक्षेत्र में स्थित अन्य आरक्षी केन्द्रों से संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उन न्यायालयों से संबंधित उक्त आवश्यक कार्य के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करता हूँ जो उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम (जिसके पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे)	अवकाश की दिनांक
01.	श्रीमती अनुभूति मिश्रा, आर.जे.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01, श्रीगंगानगर	05.09.2021
02.	श्री लीकराम सिहाग, आर.जे.एस., वि.न्या.मजि.(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या-01, श्रीगंगानगर	11.09.2021
03.	श्री अनूप कुमार, आर.जे.एस., वि.न्या.मजि.(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या-02, श्रीगंगानगर	12.09.2021
04.	सुश्री दिप्ती स्वामी, आर.जे.एस., अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01, श्रीगंगानगर	16.09.2021
05.	श्रीमती रचना बिस्सा, आर.जे.एस., अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02, श्रीगंगानगर	19.09.2021
06.	श्री नवदीप, आर.जे.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर	25.09.2021
07.	श्रीमती निधि बेनीवाल, आर.जे.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02 श्रीगंगानगर	26.09.2021

नोट:- (1) किसी भी अवकाश दिवस के तुरन्त पूर्व/पश्चात कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु इयूटी, उससे तुरन्त पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस के लिए अधिकृत इयूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्वहन की जावेगी।

(2) अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश दिवस के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का निर्वहन किया जावेगा तथा मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करने व मृतक बंदी से संबंधित कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही का सम्पादन किया जावेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर।

दिनांक:-26.08.2021

क्रमांक:- /रीडर/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
02. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01/02, श्रीगंगानगर।
03. न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01/02, श्रीगंगानगर।
04. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या-01/02 श्रीगंगानगर।
05. अध्यक्ष, बार संघ, श्रीगंगानगर।
06. सहायक निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर।
07. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
08. अवकाश लेखा लिपिक, जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर।